संख्या: 1915/XXIV-3/10/01(26) 2010

प्रेषक,

जी0पी0तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 02 दिसम्बर, 2010

विषयः– मोन्टफोर्ट चिल्ड्रन एकेडेमी लक्सर, जनपद हरिद्वार को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0),नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मोन्टफोर्ट चिल्ड्रन एकेडेमी लक्सर, जनपद हरिद्वार को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:–

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंऊसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(ड़) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

क्रमशः.....2

(ञ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं मे रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तो में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

3. उक्त समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव।

संख्याः 1915(1)/XXIV-3/10/01(26)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
5. प्रधानाचार्य, मोन्टफोर्ट चिल्ड्रन एकेडेमी लक्सर, जनपद हरिद्वार।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव।

परिशिष्ट–तीन

प्रपत्र–3

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के नियम–17 के उपनियम (6) को देखें:

कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी,(प्रा0शि0) हरिद्वार।

पत्रांक : मान्यता (बे0)/आर0टी0ई0/ 4430-34 /2020–21 दिनांक 26-08- 2020

सेवा में,

अध्यक्ष/प्रबन्धक/संस्थापक,
मोन्टफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी, गोवर्धनपुर रोड,
विकासखण्ड – लक्सर
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में मान्यता समिति के बैठक दिनांक 24.07.2020 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालयी, मोन्टफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी, गोवर्धनपुर रोड, विकासखण्ड–लक्सर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को कक्षा प्री0 से 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) की विद्यालय संचालन हेतु तीन वर्ष दनांक 01.04.2020 से 31.03.2023 तक अवधि के लिये औपबन्धिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन में अधीन होगी –

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा–8 तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिये भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त कम संख्या–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिये विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नही किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसकी आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नही करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेगें–
   - (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नही रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा;
   - (दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा;
   - (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिये किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी,
   - (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा
   - (छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नही धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;
   - (सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और
   - (आठ) शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप में छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् होगा–
    - विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल;
    - कुल निर्मित क्षेत्र;
    - खेल के मैदान का क्षेत्र;
    - कक्षा–कक्षों की कुल संख्या;
    - प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष;

26.8.20

Principal
Mont Fort Children Academy

Manager
Mont Fort Children Academy

3

- बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग–अलग शौचालय;
- पेयजल की सुविधा;
- मध्याह्न भोजन के लिये रसोई–घर;
- बाधारहित पहुँच;
- शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनायें अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अर्न्तगत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजा जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 11 4-4- है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनायें, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाये।
19. परिशिष्ट–चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवेहलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि–

1– यह कि शासनादेश संख्या 588/XXUTV–3/17/01(11) 2017 के अनुपालन में जनपद के अन्तर्गत समस्त विद्यालय किसी भी छात्र/छात्रा के विद्यालय में प्रवेश हो जाने के उपरान्त प्रवेश शुल्क दोबारा न लिया जाये तथा कोशन मनी के नाम से कोई धनराशि न ली जाये साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि अभिभावकों/छात्र–छात्राओं से ऐसा कोई शुल्क लिया गया हो तो वांछित धनराशि अभिभावकों को तत्काल वापस की जाये।
2– पाठ्य पुस्तकें और गणवेश आदि विद्यालय प्रांगण में टेन्ट लगाकर नही बेची जायेगी।
3– जिला परियोजना कार्यालय–सर्व शिक्षा अभियान हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराये गये "डायस" प्रपत्र को भरना अनिवार्य होगा।
4– अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार यह मान्यता तीन वर्ष के लिए प्रदान की गयी है, उक्त अवधि समाप्त होने से पाँच माह पूर्व पुनः मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र स्वयं विद्यालय/संस्था को करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय/संस्था का होगा।

भवदीय,

डा0(आनन्द भारद्वाज)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
हरिद्वार।

पृ0सं0 : मान्यता (बे0)/आर0टी0ई0/4430-24/2020–21 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:–

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।
2– जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
3– जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, हरिद्वार।
4– उप शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड जनपद हरिद्वार।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
हरिद्वार।

Principal
Mont Fort Children Academy
Laksar (Haridwar)

Manager
Mont Fort Children Acade
Laksar (Haridwar)